राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांकः प.10(न.पा.)(गठन)(   )(ब.घो.)डीएलबी / 23 / 4229   दिनांक 23 / 08 / 2023

अधिसूचना

विभागीय अधिसूचना कमांक 351 दिनांक 19.02.2021 के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप–धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप–धारा (8) के खण्ड (ग) तथा सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मानको को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार निम्नांकित **ग्राम पंचायत खैरवाडा, ग्रांम पंचायत पलसीया, बंजारिया, बडला, पोगर कला (जिला उदयपुर) के क्षेत्र** को सम्मिलित करते हुए एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से **चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित करती है** :–

क्र. सं.	जिला	नवगठित नगर पालिका का नाम	नवगठित नगरपालिका में शामिल ग्राम पंचायत सीमा क्षेत्र
01.	उदयपुर	खैरवाडा	ग्राम पंचायत खैरवाडा के **राजस्व ग्रांम खेरवाडा छावणी, ग्रांम पंचायत पलसीया के राजस्व ग्रांम पलसिया महुदरा, कटेवडी, ग्रांम पंचायत बंजारिया, का राजस्व ग्रांम बंजारिया, ग्रांम पंचायत बडला का राजस्व ग्रांम बडला, झुसावाडा, ग्रांम पंचायत पोगर कला का राजस्व ग्राम मोथली, के सम्पूर्ण क्षेत्र में आने वाले राजस्व ग्रांम खेरवाडा के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए (जनंसख्या – 13,016) जनगणना 2011 के** अनुसार

माननीय मुख्य मंत्री महोदय के बजट प्रस्ताव 2022–23 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत खैरवाडा, व पलसीया के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र , एवं ग्रांम पंचायत बंजारिया के केवल वार्ड नं. 7, ग्राम पंचायत बडला का वार्ड संख्या 1 का आंशिक भाग (उदयपुर से अहमदाबाद की ओर जाने वाले एन. एच. 48 का दायीं ओर का भाग), वार्ड नं. 2 व 3 व सम्पूर्ण क्षेत्र ग्रांम झुसावाडा एवं ग्रांम पंचायत पोगराकला का ग्रांम मेथली के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए (जनंसख्या – 13,016) जनगणना 2011 के अनुसार के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र की विधमान सीमांए ही नवगठित नगर पालिका की स्थानीय सीमाएं रहेगी । विभागीय अधिसूचना 2025 दि1/6/21 के अन्तर्गत ग्रांम पंचायत खैरवाडा के निर्वाचित सरपंच को अध्यक्ष एवं ग्रांम पंचायत पलसीया के निर्वाचित सरपंच को उपाध्यक्ष एवं उपरोक्त क्षेत्र के वार्ड पंचों को नवगठित नगर पालिका में वार्ड सदस्य समझा जावेगा ।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव